


सर्वप्रथम आवंटी/टेकेदार को प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाना होगा।




प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-



1. नामान्तरण :- 1.विक्रय पत्र पर :- आवंटी को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करवाने के लिये सर्वप्रथम प्राधिकरण की वेबसाईट [www.adaajmer.org](http://www.adaajmer.org) पर अपना पंजीयन कराते हुये अपना मोबाईल न. को रजिस्टर्ड करना होगा।

उसके बाद लॉगिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन कर के मुख्य पृष्ठ पर आ जायेगा ।

आवंटी को मुख्य पृष्ठ पर वांछित सूचना भरनी होगी जैसे नये आवंटी का नाम, पिता का नाम, पता, दिनांक आदि। उसके पश्चात वांछित दस्तावेजों को अपलोड भी करना पड़ेगा जैसे हस्तान्तरण अनुमति के चालान की मूल प्रति, विक्रय पत्र की मूल प्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना की प्रति(आम सूचना का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है।), पहचान पत्र की प्रति, उक्त सभी मूल दस्तावेजों को स्केन करके अपलोड करने होंगे



उसके उपरान्त आवंटी को ऑनलाईन आवेदन करने के 3 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थिति होकर उक्त सभी दस्तावेजों की एक छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिससे नामान्तरण आदेश को तैयार पर आवंटी को ऑनलाईन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जा सकें।

### नामान्तरण अनुमति पत्र

क्रमांक / स्थास / योजना / / 08 / दिनांक 13 May 2008  
 विषय-नामान्तरण सूचना / अमरा मुद्र संख्या N 32  
 योजना - वैशाली नगर  
 सुन्दर - बिना हस्ताक्षर अनुमति पत्र के पत्राक / योजना वैशाली नगर  
 दिनांक 13 May 2008

#### आदेश

श्री मति ममता जानयानी पुत्र श्री चरित श्री अशोक कृष्ण मार को भू खण्ड संख्या छ. 32 योजना वैशाली नगर का नामान्तरण किया गया। अतः भू खण्ड श्री श्री मति ममता जानयानी द्वारा श्री कर्क कृष्ण श्री कर्क को बे चान किया गया है। किन्तु श्री कर्क क द्वारा अपना नामान्तरण खास में उपर लिख करण में चरक करण में चरक करण गया। तिसरकी राशि न चू करण पर उक्त भू खण्ड को ( ) रा कृ क कर बिना हस्ताक्षरण अनु मति के ( ) पुत्र श्री ( ) को जयिने चोलासी बे चान कर दिया गया। बिना हस्ताक्षरण अनु मति के बे चान पर बिना भू खण्ड की न खासित पत्र संकीन हो रो है। न के चाले उक्त न प्र दिवस राशि 4781.00 न हस्ताक्षरण पु खण्ड 10 वर्ष बाद 100 / - चारा को भ में नामान श्री खण्ड 13052008/UIT\_AJ/C/G/21202 दिन एक 13-May-2008 का जगा कर दिया है। भू खण्ड संडे नं छ.32 योजना वैशाली नगर का न जोरन बिना क को हो पु का है। अतः अतो भू खण्ड 13-32 योजना वैशाली नगर ( ) पुत्र श्री ( ) के नाम किया जाता है तथा शही जगावन्दी बिना क रो 25 प्र विशत अधिक बढ़ाई जाती है।


क्रमांक / स्थास / योजना / / 08 / दिनांक 13-May-2008

- प्र विविध विष्ण को सु चनाई एवं आवक करव वाली है पु
1. जे उभासवा नगर भू खण्ड खास अजमे र ।
  2. मासवा च चरक ( ) को सु चनाई ।
  3. श्री ( ) पुत्र श्री ( ) ( निवास )
  4. आदेश पत्रावली ।

2. मृत्यु होने पर :- आवंटी की मृत्यु होने की दशा में आवंटी के वारिस (जो भी हो) सर्वथम प्राधिकरण की बेवसाईट से आम सूचना का प्रारूप लेकर किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा आम सूचना प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात प्राधिकरण में ऑनलाईन आवेदन करना होगा



जिसके लिये अपनी आईडी को लॉगिन करके मुख्य पृष्ठ पर वांछित सूचना भरनी होगी। जैसे वारिस का नाम, पिता का नाम, पता, आवंटी की मृत्यु की दिनांक, समाचार की नाम व आम सूचना प्रकाशित की दिनांक आदि उसके पश्चात वांछित दस्तावेजों को अपलोड भी करने होगा। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, वासियत/सजरा/रजिस्टर्ड हक त्याग/शपथ पत्र की प्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, उक्त सभी मूल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करने होंगे



उसके उपरान्त आवंटी को ऑनलाइन आवेदन करने के 3 कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थिति होकर उक्त सभी दस्तावेजों की एक छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिससे नामान्तरण आदेश को तैयार पर आवंटी को ऑनलाइन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जा सकें।

## नागान्तरण अनुमति पत्र

अ.सं.सं./आम/सौजन/ /08/  
 दिनांक-नागान्तरण मुद्रापत्र/अवकाश मुद्रापत्र संख्या N-32  
 विनागर - वैशाली नगर  
 संदर्भ - विनागर हस्तान्तरण अनुमति पत्रों के प्रकाश/सौजन्य वैशाली नगर  
 दिनांक- 13 May 2008

### आदेश


श्री मति प्रमदा जानवानी पु व श्री पति श्री अशोक चंद्र भार को भू खण्ड संख्या छ. 32 श्री जना वैशाली नगर का नामान्तरण किया गया। अंतर्गत भू खण्ड श्री श्री मति प्रमदा जानवानी द्वारा श्री श्री कर्क क पु व श्री कर्क क व चान किया गया है। किन्तु श्री श्री कर्क क द्वारा अपना नामान्तरण पत्र में अंतर्गत भू खण्ड को ..... में बतवाया गया है। जिसकी प्रति व चान पर अंतर्गत भू खण्ड को ..... ) का कर्क क कर बिना हस्तान्तरण अनुमति के ..... पु व श्री ..... को जारि होना भी चान कर दिया गया। विनागर हस्तान्तरण अनुमति के चान पर विक्रय मूल्य की 1 प्रतिशत मात्र रकमत का है। व चान पर विक्रय मूल्य का प्रमाण पत्र 4781.00 रु हस्तान्तरण पु खण्ड 10 वर्षे चान 1000/ - स्थायी जमा के चालान की संख्या 13052008/UIT\_AJICG/21202 दिनांक 13-May-2008 का जमा कराया है।

भू खण्ड संख्या छ.32 श्री जना वैशाली नगर का प्रमाण पत्रों के प्रकाश/सौजन्य वैशाली नगर ..... पु व श्री ..... का नाम किया जाता है तथा शहरी जमाबन्दी बिना कर से 25 व दिनांक अधिक बकाया जमा है।

सौजन्य प्रमाण  
 नगर सुधार सचिव, अजमेर  
 दिनांक- 13-May-2008

क्र.सं.सं./आम/सौजन/ /08/  
 प्र विधिवि विना कर से चान एवं आवश्यक कार्य वाली है पु  
 1. श्री अशोक चंद्र भार को भू खण्ड संख्या अजमेर 1।  
 2. गांजा व बतवा ..... को चान है।  
 3. श्री ..... पु व श्री ..... निवासी  
 4. आवकाश प्रकाशनी।

2. शहरी जमाबन्दी:- शहरी जमाबन्दी जमा कराने के लिये आवंटी को अपनी आईडी से लॉगिन करके शहरी जमाबन्दी के लिये आवेदन करना होगा जिसके लिये उसे कब्जा पत्र की प्रति व अन्तिम जमा शहरी जमाबन्दी के चालान की प्रति अपलोड करनी होगी आवेदन करने के 2 कार्य दिवस में डिमांड नोट दिखने लग जायेगा जिसका वह भुगतान वह चाहे तो चालान से, RTGS/NFT से, ऑनलाईन से कर सकता है।




3. लीज मुक्ति प्रमाण पत्र :- लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिये आवंटी को अपनी आईडी से लॉगिन करके लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा जिसके लिये उसे एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा के चालान की प्रति अपलोड करनी होगी आवंटी को ऑनलाईन आवेदन करने के 3 कार्य दिवस में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तैयार पर आवंटी को ऑनलाईन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवा दिया जायेगा।








4. सामुदायिक भवन/विश्राम भवन/जवाहर रंगमंच बुकिंग :- आम जनता को जो भी सामुदायिक भवन/विश्राम भवन/जवाहर रंगमंच बुक करना है वह सर्वप्रथम प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाकर यह देखेगा की उक्त भवन सम्बंधित दिनांक को खाली है या नही। उसके उपरान्त बुक बटन पर क्लिक कर उक्त भवन को बुक करा सकेगें



5. निविदा की अमानत राशि :- ठेकेदार किसी भी निविदा की अमानत राशि व निविदा शुल्क प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाकर लॉगिन करके निविदा की अमानत राशि व

निविदा शुल्क ऑनलाईन जमा कराई जा सकेगी। टेकेदार को लॉगिन आईडी के लिये सर्वप्रथम प्राधिकरण कार्यालय में अपना मोबाईल न0 रजिस्टर्ड कराने के पश्चात आईडी व पासवर्ड प्राप्त करना होगा।





6. विद्युत संबंधी शिकायत :- प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी रोड लाईट की शिकायत कर सकेंगे व शिकायत के निवारण की सूचना शिकायतकर्ता को एसएमएस के जरिये मिलती रहेगी ।

